



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2001/भाद्र 6, 1923

No. 613]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2001/BHADRA 6, 1923

सूचना विभाग

MINISTRY OF TEXTILES

पटसन आद्युक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER

आदेश

ORDER

कोलकाता, 28 अगस्त, 2001

Kolkata, the 28th August, 2001

S.O. 823(E).—यूँकि, भारत सरकार, जूट तथा प्याजिया
विभाग ने दिनांक 4 अक्टूबर, 1996 के सा.सा.वि. 457(अ) के
अनुसार अतिरिक्त जूट बैचिंग्स (ऑइल) के निर्माण में गैर-हैलोजनकृत
हाइड्रोकार्बन का प्रयोग हेतु आद्युक्त प्राधिकार लगाए हैं। अतः पटसन तथा
जूट विभाग के निर्माण क्रमिक, 2000 के खण्ड 4 तथा 6 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ए. के. कापस, पटसन आद्युक्त एवं जूट
विभाग के अधिकारी के रूप में भारत में बैचिंग के लिए पटसन सामग्री में निर्मित
हाइड्रोकार्बन आद्युक्त गैर-हैलोजनकृत हाइड्रोकार्बन (जूट बैचिंग ऑइल)
का मात्रा भार में 3% से अधिक न हो।

S.O. 823(E).—Whereas, the Government of India,
Ministry of Environment and Forests vide G.S.R. 457(E)
dated 4th October, 1996 imposed certain restrictions for
the use of Non-halogenated Hydrocarbons in the
manufacture of Hessian and Sackings; therefore in exercise
of the powers conferred by clauses 4 and 6 of the Jute and
Jute Textiles Control Order, 2000, I, A. K. Kapas, Jute
Commissioner, hereby direct that content of Non-
halogenated Hydrocarbon (Jute Batching Oil) on dry de-
oiled basis in the jute goods for packaging purposes in
India shall not exceed 3% by weight.

मैं आगे निर्दिष्ट करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बैचिंग करने हेतु
भार में 3% गैर-हैलोजनकृत हाइड्रोकार्बन (जूट बैचिंग ऑइल) से
अधिक पटसन सामग्री का निर्माण तथा/वा भण्डारण नहीं कर सकेगा।

I further direct that no person shall manufacture and/
or hold stock of jute goods meant for packaging purposes
having more than 3% Non-halogenated Hydrocarbons
(Jute Batching Oil) by weight.

इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि अक्टूबर के उल्लंघन किए जाने पर
आवश्यक अवधि में जूट अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अन्तर्गत
दण्डित होगा।

Any person who contravenes the above order shall
be punishable under Section 7 of the Essential Commodities
Act, 1955.

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से
व्यवस्था में होगी।

This notification shall take effect from the date of its
publication in the official gazette.

[सा. सं. पटसन (ऑ)-6/11/86-II]

[F. No. Jute(T)-6/1/86-II]

ए. के. कापस, पटसन आद्युक्त

A. K. KAPAS, Jute Commissioner